

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-.....04...../.....11...../2016

विषय:-


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के द्वितीय परिसर में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के अधीन 50 शैय्या वाले महिला छात्रावास भवन (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रू० 195.00 लाख (एक करोड़ पनचानवे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के द्वितीय परिसर में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के अधीन 50 शैय्या वाले महिला छात्रावास भवन (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रू० 195.00 लाख (एक करोड़ पनचानवे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-8380 (भ०), दिनांक-29/08/2016 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 2- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, माँग संख्या-3, उप शीर्ष-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-P4059600510112, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5579 के विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक- 17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- संचिका संख्या-टी-3/भवन-85/2016 के पृष्ठ-04/टि० पर प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग तथा पृष्ठ-04/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-85/2016 -.....4177

/प ट ना, दिनांक-.....04...../.....11...../2016

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-85/2016-.....4177

/प ट ना, दिनांक-.....04...../.....11...../2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग